

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020—श्रावण 23, शक 1942

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र. एफ 1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल को दिनांक 20 जुलाई से 22 अगस्त 2020 तक, सैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जुलाई 2020 व 23 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राऔसुबल, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2020 द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जबलपुर को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

पंजी क्र. 2074-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विवेक पटेल, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-1919-2020.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे

संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

#### सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"29.	रतलाम	श्री आनंद जाम्बुलकर, छठवें अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(One)1919-2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 29 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"29.	Ratlam	Shri Anand Jambulkar, VI Additional Sessions Judge, Ratlam."

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

फा. क्र. 2073-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के

निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री पद्मचंद्र गुप्ता, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री गुप्ता वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (दतिया लिंक ग्वालियर) का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में तीन सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2	श्री अनिल कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के स्थान पर.
3	श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री कौशिक वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
4	श्रीमती अनिता सिंह, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से श्री संजीव कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
5	श्रीमती इन्द्रा सिंह, दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री अमिताभ मिश्र के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-31-2020-अठारह-5.—नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-3-31-2020-अठारह-5, दिनांक 29 जुलाई 2020 को (हिन्दी एवं अंग्रेजी) असाधारण राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुई थी. विभाग उक्त हिन्दी की सूचना की कण्डिका-1 में राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा के स्थान पर तीन दिवस टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है.

2. अतः विभागीय हिन्दी की सूचना दिनांक 29 जुलाई 2020 में तीन दिवस के स्थान पर 30 दिवस पढ़ा जावे.

क्र. एफ-3-115-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 2754-07-उपां-टीसी-बालाघाट-2016, दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बालाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बूढी, तहसील-बालाघाट जिला-बालाघाट.	37	1.664	आमोद-प्रमोद (मैला मैदान).	आवासीय (अटल आश्रय योजना बहुइकाई आवास हेतु).
योग . . .			<u>1.664</u>		

शर्तें.—

1. किसी भी प्रकार की मल निकासी तालाब की और प्रवाहित न की जावे.
2. उपरोक्त उपांतरण बालाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि. क्र. 110-एफ 1-50-2020-18-3.—म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 01, जवाहर वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र0 09, श्रीराम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 03, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, भगतसिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 14, तिलक वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, श्रीराम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 05, आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, सरदार पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, इंदिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, बजरंग वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-50-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110-एफ-1-50-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-~~No~~ F 1-50/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Polaykala District Shajapur published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 01, Jawahar ward (2) Ward No. 08, Ambedkar ward (3) Ward No. 09, Shree ram ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 03, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 07, Bhagat Singh ward (3) Ward No. 14, Tilak ward (4) Ward No. 15, Maharana Pratap ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 08, Ambedkar ward (2) Ward No. 09, Shree ram ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14, Tilak ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 05, Ajad ward (2) Ward No. 06, Sardar Patel ward (3) Ward No. 12, Indira Gandhi ward (4) Ward No. 13, Bजारंग ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र./// एफ 1-53/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पानखेडी (कालापीपल) जिला शाजापुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 15, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 02, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 04, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 11, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, महात्मा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 04, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्र0 01, महाराणा प्रताप वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, शहीद सुभाषचंद्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड (4) वार्ड क्र0 10, मौलाना आजाद वार्ड (5) वार्ड क्र0 12, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (6) वार्ड क्र0 14, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-53-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 111-एफ-1-53-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No/// F 1-53/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Pankhedhi (Kalapipal), District Shajapur published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 15, Swami Vivckanand ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 02, Dr. Bhimrao Ambedkar ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 04, Sardar Vallabhbhai Patel ward (2) Ward No. 05, Rani Lakshmibai ward (3) Ward No. 11, Lal Bahadur Shastri ward (4) Ward No. 13, Mahatma Gandhi ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 04, Sardar Vallabhbhai Patel ward (2) Ward No. 13, Mahatma Gandhi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	06	(1) Ward No. 01, Maharana Pratap ward (2) Ward No. 03, Shahid Subhash Chandra Bose ward (3) Ward No. 06, Ravindranath Taigore ward (4) Ward No. 10, Maulana Azad ward (5) Ward No. 12, Jawaharlal Nehru ward (6) Ward No. 14, Dr. Rajendra Prasad ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.



भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

112  
अधि.क्र. एफ 1-52/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 15, सुभाषचंद्र वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 07, जवाहर नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, राजीव गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, विवेकानंद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 15, सुभाषचन्द्र वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 11, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, विवेकानंद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 02, चन्द्रशेखर वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 08, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (5) वार्ड क्र0 09, इन्दिरा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-52-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 112-एफ-1-52-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No // 2 F 1-52/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Akodiya District Shajapur published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 01, Dr. Ambedkar ward (2) Ward No. 15, Subhash Chandra ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 07, Jawahar Nehru ward (2) Ward No. 11, Rajiv Gandhi ward (3) Ward No. 12, Maharani Laxmibai ward (4) Ward No. 14, Vivekanand ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 15, Subhash Chandra ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 11, Rajiv Gandhi ward (2) Ward No. 14, Vivekanand ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 02, Chandrashekhar ward (2) Ward No. 03, Sardar Vallabh Bhai Patel ward (3) Ward No. 06, Mahatma Gandhi ward (4) Ward No. 08, Lal Bahadur Shastri ward (5) Ward No. 09, Indira Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.116 एफ 1-51/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पर्वी जिला पन्ना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 05, छत्रशाल वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, चंद्रशेखर वार्ड (3) वार्ड क्र0 07 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड (5) वार्ड क्र0 08 छत्रपति शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 06 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 03, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 13, मॉ कलेही देवी वार्ड (4) वार्ड क्र0 02, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 05, छत्रशाल वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 11, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 10, महारानी अहिल्या बाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, सुभाष चंद्र बोस वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-51-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 116-एफ-1-50-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 116 F 1-51/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Pawai, District Panna published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	05	(1) Ward No. 05- Chatrasal Ward (2) Ward No. 04- Chandrashekhar ward (3) Ward No. 07- Maharani Laxmi Bai ward (4) Ward No. 14- Dr. Ambedkar ward (5) Ward No. 08- Chatrapati Siwazi ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 06- Lal Bahadur Shastree ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 03- Swami Vivekanand ward (2) Ward No. 12- Pt. Jawahar Lal Nehru ward (3) Ward No. 13- Ma Kalehi Devi ward (4) Ward No. 02- Sardar Ballabh Bhai Patel Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 05- Chatrasal ward (2) Ward No. 07- Maharani Laxmi Bai ward (3) Ward No. 14- Dr. Ambedkar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03- Swami Vivekanand ward (2) Ward No. 12- Pt. Jawahar Lal Nehru ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 11- Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 10- Maharani Ahilya Bai ward (3) Ward No. 15- Subhash Chandra Bose ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र./b1 एफ 1-63/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद जतारा जिला टीकमगढ़ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड (3) वार्ड क्र0 03 इंदिरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 08, चंद्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, लोकमान्य तिलक वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, निजाम वार्ड (4) वार्ड क्र0 01, मदन सागर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 11, लोकमान्य तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, चंद्रशेखर आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 13, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 10, शहीद भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 09, शिवाजी वार्ड (4) वार्ड क्र0 05, सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-63-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 101-एफ-1-63-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No **101** F 1-63/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Jatara, District Tikamgarh published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 06, Ambedkar ward (2) Ward No. 02, Rani Durgawati ward (3) Ward No. 03 Indira ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 08, Chandra shekhar Azad ward (2) Ward No. 11, Lok Manya Tilak ward (3) Ward No. 12, Nizam ward (4) Ward No. 01, Madan sagar ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 06, Ambedkar ward (2) Ward No. 02, Rani Durgawati ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 11, Lok Manya Tilak ward (2) Ward No. 08, Chandra shekhar Azad ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 13, Maharani Lakshmibai ward (2) Ward No. 10, Shaheed Bhagat Singh ward (3) Ward No. 09, Shivaji ward (4) Ward No. 05, Subhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.103 एफ 1-69/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पलेरा जिला टीकमगढ़ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्र0 12, मौलाना आजाद वार्ड (5) वार्ड क्र0 13 देवी शीतला वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 03, पठेश्वरी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 07, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, इंदिरा वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, विवेकानंद वार्ड (4) वार्ड क्र0 04, भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 07, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, इंदिरा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, हनुमान वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-69-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 103-एफ-1-69-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No **103** F 1-69/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Palera, District Tikamagrh published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	05	(1) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14, Shivaji ward (3) Ward No. 08, Ambedkar ward (4) Ward No. 12, Molana Azad ward (5) Ward No. 13 Devi Shectala ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 03, Patheshwari ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 07, Rani Lakshmibai ward (2) Ward No. 09, Indira ward (3) Ward No. 01, Vivekanand ward (4) Ward No. 04, Bhagat Singh ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14, Shivaji ward (3) Ward No. 08, Ambedkar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 07, Rani Lakshmibai ward (2) Ward No. 09, Indira ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 11, Lal Bahadur Shastri ward (2) Ward No. 06, Subhash ward (3) Ward No. 02, Hanuman ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.



भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.104 एफ 1-75/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद कारी जिला टीकमगढ़ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 08, बाल्मीकी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 10, अब्दुल कलाम वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, महावीर वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 11, रामराजा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 05, महावीर वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, रामराजा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, मंडल वार्ड (3) वार्ड क्र0 13, वियोगी वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, इंद्रागांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-75-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 104-एफ-1-75-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-~~No~~<sup>104</sup> F 1-75/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Kari, District Tikamgarh published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 07, Dr. Ambedkar ward (2) Ward No. 03, Bhagat Singh ward (3) Ward No. 14, Lal Bahadur Shashtri ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 08, Balmiky ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 10, Abdul Kalam ward (2) Ward No. 05, Mahaveer ward (3) Ward No. 06, Mahatma Gandhi ward (4) Ward No. 11, Ramraja ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 07, Dr. Ambedkar ward (2) Ward No. 14, Lal Bahadur Shashtri ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 05, Mahaveer ward (2) Ward No. 11, Ramraja ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 01, Nehru ward (2) Ward No. 09, Mandal ward (3) Ward No. 13, Viyogi ward (4) Ward No. 15, Indra Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.106 एफ 1-70/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद लिधौराखास जिला टीकमगढ़ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 10, रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र0 04, आजाद वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, श्यामलाल माते वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, विवेकानन्द वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 10, रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 11, लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, भूतेश्वर वार्ड (4) वार्ड क्र0 06, श्रृंगीकृषि वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-70-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 106-एफ-1-70-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No/106 F 1-70/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Lidhorakhas, District Tikamgarh published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 10, Raidas ward (2) Ward No. 02, Dr. Ambedkar ward (3) Ward No. 04, Azad Ward (4) Ward No. 14, Shyamlal Mate ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 09, Rajeev Gandhi ward (2) Ward No. 12, Lal Bahadur Shastri ward (3) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward (4) Ward No. 13, Vivekanand ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 10, Raidas ward (2) Ward No. 04, Azad ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 09, Rajeev Gandhi ward (2) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 11, Laxmibai ward (2) Ward No. 08, Bhagat Singh ward (3) Ward No. 01, Bhuteswar ward (4) Ward No. 06, Shringirishi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र/113 एफ 1-64/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद सिंगोली जिला नीमच के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 14, भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 13, महावीर वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, इंदिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 08, मौलाना आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, मौलाना आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 01, बिजासन माता वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, शीतला माता वार्ड (4) वार्ड क्र0 11, वीर तेजाजी वार्ड (5) वार्ड क्र0 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-64-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 113-एफ-1-64-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No // 3 F 1-64/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Singoli, District Neemuch published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 14, Bhagat Singh Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 13, Mahaveer Ward (2) Ward No. 04, Nehru Ward (3) Ward No. 03, Indira Gandhi Ward (4) Ward No. 08, Maulana Azad Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03, Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 08, Maulana Azad Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 01, Bijasan Mata Ward (2) Ward No. 06, Mahatma Gandhi Ward (3) Ward No. 10, Sheetla Mata Ward (4) Ward No. 11, Veer Tejaji Ward (5) Ward No. 15, Dr. Ambedkar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र/14 एफ 1-72/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मनासा जिला नीमच के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 10, गुरु गोविन्द सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 08, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 02, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 03, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, पं. दीनदयाल वार्ड (4) वार्ड क्र0 09, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (5) वार्ड क्र0 11, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-72-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114-एफ-1-72-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

## Bhopal, the 30th July 2020

Not-No **114** F 1-72/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Manasa, District Neemuch published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 07, Dr. Ambedkar ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 10, Guru Gobind Singh ward (2) Ward No. 14, Maulana Abdul Kalam Azad ward (3) Ward No. 02, Mahatma Gandhi ward (4) Ward No. 08, Swami Vivekanand ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 02, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 08, Swami Vivekanand ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 03, Bhagat Singh ward (2) Ward No. 05, Subhash Chandra Bose ward (3) Ward No. 06, Pt. Deendayal ward (4) Ward No. 09, Lal Bahadur Shastri ward (5) Ward No. 11, Rani Laxmibai ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.



## भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र. 102 एफ 1-66/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद जावरा जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 27, गुरुनानक वार्ड (2) वार्ड क्र0 26, कमला मेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 08 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 28 शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	08	(1) वार्ड क्र0 13, डॉ. काटजू वार्ड (2) वार्ड क्र0 21, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 16, रविदास वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, महावीर वार्ड (5) वार्ड क्र0 24 अशाफक वार्ड (6) वार्ड क्र0 10 शितलामाता वार्ड (7) वार्ड क्र0 18 लक्ष्मीबाई वार्ड (8) वार्ड क्र0 11 नरसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 27, गुरुनानक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरक	निरक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 13, डॉ. काटजू वार्ड (2) वार्ड क्र0 10 शितलामाता वार्ड (3) वार्ड क्र0 18 लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 21, शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	09	(1) वार्ड क्र0 01, राधाकृष्णन वार्ड (2) वार्ड क्र0 30, राजीव वार्ड (3) वार्ड क्र0 25, तिलक वार्ड (4) वार्ड क्र0 07, भगतसिंह वार्ड (5) वार्ड क्र0 20, गुलशन वार्ड (6) वार्ड क्र0 22, टैगोर वार्ड (7) वार्ड क्र0 04, इफतेखार वार्ड (8) वार्ड क्र0 09, इंदिरा वार्ड (9) वार्ड क्र0 17 सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-66-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 102-एफ-1-66-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 102F 1-66/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad jaora, District Ratlam published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 27, Gurunanak ward (2) Ward No. 26, Kamla Nehru ward (3) Ward No. 08 Ambedkar ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 28 Shastri ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	08	(1) Ward No. 13, Dr. Katju ward (2) Ward No. 21, Shivaji Ward (3) Ward No. 16, Ravidas ward (4) Ward No. 15, Mahaveer ward (5) Ward No. 24 Ashfaq ward (6) Ward No. 10 Shitlamata ward (7) Ward No. 18 Laxmibai ward (8) Ward No. 11 Narsingh ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 08 Ambedkar ward (2) Ward No. 27, Gurunanak ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	04	(1) Ward No. 13, Dr. Katju ward (2) Ward No. 10 Shitlamata ward (3) Ward No. 18 Laxmibai ward (4) Ward No. 21, Shivaji ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	09	(1) Ward No. 01, Radhkrashnan ward (2) Ward No. 30, Rajiv ward (3) Ward No. 25, Tilak ward (4) Ward No. 07, Bhagat Singh ward (5) Ward No. 20, Gulshan ward (6) Ward No. 22, Taigaur ward (7) Ward No. 04, Iftekhar ward (8) Ward No. 09, Indira ward (9) Ward No. 17 Subhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.107 एफ 1-74/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद नामली जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 09, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 11, इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र0 03, सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 02, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 07, महर्षि दयानंद वार्ड (2) वार्ड क्र0 01, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, चंद्र शेखर आजाद वार्ड (5) वार्ड क्र0 04, महात्मा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-74-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 107-एफ-1-74-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 107 F 1-74/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Namli, District Ratlam published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 09, Lalbahadur Shastri ward (2) Ward No. 02, Dr. Rajendra Prasad Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 11, Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 14, Ch. atrapati Shivaji Ward (3) Ward No. 12, Maharana Pratap Ward (4) Ward No. 03, Sardar Vallabhbbhai Patel Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 02, Dr. Rajendra Prasad Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03, Sardar Vallabhbbhai Patel Ward (2) Ward No. 12, Maharana Pratap Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 07, Mahrshi Dayanand Ward (2) Ward No. 01, Swami Vivekanand Ward (3) Ward No. 10, Netaji Subhash Chandra Bose Ward (4) Ward No. 13, Chandra Shekhar Aajad Ward (5) Ward No. 04, Mahatma Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.108 एफ 1-73/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बडावदा जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 06, भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र0 13 राणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 12, इन्दिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 09, लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 05, मौलाना आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 02, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 05, मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, लक्ष्मीबाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 11, मुखर्जी वार्ड (2) वार्ड क्र0 10, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, चंद्रशेखर वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-73-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 108-एफ-1-73-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No **108** F 1-73/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Badawada, District Ratlam published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 06, Bhagat Singh ward (2) Ward No. 02, Ambedkar ward (3) Ward No. 13 Rana Pratap ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 12, Indira Gandhi ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 01, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 03, Shivaji ward (3) Ward No. 09, Laxmibai ward (4) Ward No. 05, Moulana Azad ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 02, Ambedkar ward (2) Ward No. 06, Bhagat Singh ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 05, Moulana Azad ward (2) Ward No. 09, Laxmibai ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 11, Mukherji ward (2) Ward No. 10, Subhash ward (3) Ward No. 15, Chandra Shekhar ward (4) Ward No. 14, Rajendra Prasad ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.109 एफ 1-65/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद ताल जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 09, शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (3) वार्ड क्र0 07, मुखर्जी वार्ड (4) वार्ड क्र0 05, शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, मुखर्जी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्र0 11, मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, चंद्रशेखर वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, जवाहर वार्ड (5) वार्ड क्र0 10, अम्बेडकर वार्ड (6) वार्ड क्र0 12, सरदार पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-65-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 109-एफ-1-65-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 109 F 1-65/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Taal, District Rattlam published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 06, Mahatma Gandhi ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 09, Shastri ward (2) Ward No. 01, Rajendra ward (3) Ward No. 07, Mukharji ward (4) Ward No. 05, Shivaji ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 01, Rajendra ward (2) Ward No. 07, Mukharji ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	06	(1) Ward No. 11, Moulana Azad ward (2) Ward No. 13, Chandrashekhar ward (3) Ward No. 02, Laxmibai ward (4) Ward No. 15, Jawahar ward (5) Ward No. 10, Ambedkar ward (6) Ward No. 12, Sardar Patel ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.



भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.115 एफ 1-67/2020 /18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद चाँचौडा जिला गुना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 14, राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र0 15, लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, अशोक वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, चंद्रशेखर वार्ड (4) वार्ड क्र0 12, कबीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 14, राजेन्द्र वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, अशोक वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, चंद्रशेखर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 02, वाघवागेश्वर वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, राजगुरु वार्ड (4) वार्ड क्र0 09, सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-67-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 115-एफ-1-67-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-**No. 115** F 1-67/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Chachoda, District Guna published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 14, Rajendra ward (2) Ward No. 15, Laxmi bii ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No.1 Ashok ward (2) Ward No 04, Nehru ward (3) Ward No 06, Chandra Shekhar ward (4) Ward No 12, Kabir ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No 14, Rajendra ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No.1 Ashok ward (2) Ward No 06, Chandra Shekhar ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No.2, Bagbageshvar ward (2) Ward No 5, Gandhi ward (3) Ward No 8, Rajguru ward (4) Ward No 9, Shubhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.105 एफ 1-71/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद रामपुर नैकिन जिला सीधी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (3) वार्ड क्र0 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 10 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 01, डॉ. हेडगेवार वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 03, विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, इंदिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 06, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 01, डॉ. हेडगेवार वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 11, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, राजीव गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-71-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 105-एफ-1-71-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No/105 F 1-71/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Rampur Naikin, District Sidhi published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 04 Dr. Ambedker ward (2) Ward No. 08 Dr. Rajendra Prasad ward (3) Ward No. 14 Pt. Deendayal Upadhyay ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 10 Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 01 Dr. Hedgewar ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	04	(1) Ward No. 03 Vivekanand ward (2) Ward No. 07 Pt. Jawahar Lal Nehru ward (3) Ward No. 02 Indira Gandhi ward (4) Ward No. 06 Lal Bahadur Shastri ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 04 Dr. Ambedker ward (2) Ward No. 08 Dr. Rajendra Prasad ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 01 Dr. Hedgewar ward
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03 Vivekanand ward (2) Ward No. 07 Pt. Jawahar lal Nehru ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 11 Subhash Chandra Bos ward (2) Ward No. 13 Dr. Ram Manohar Lohiya ward (3) Ward No. 15 Rajiv Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र. 117 एफ 1-167/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद बडवाह जिला खरगौन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 04, विनोबा भावे वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 01, सरदार वल्लभ भाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, भगतसिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, गुरुनानक वार्ड (5) वार्ड क्र0 15, अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 03, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, गुरुनानक वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्र0 06, महावीर वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, जवाहर वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, शिवाजी वार्ड (4) वार्ड क्र0 16, डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड (5) वार्ड क्र0 17, मिर्जा गालीब वार्ड (6) वार्ड क्र0 18, नागेश्वर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-167-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 117-एफ-1-167-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 117 F 1-167/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Badwah, District Khargone published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 04, Vinoba Bhawe Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 07, Dr. Rajendra Prasad Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	05	(1) Ward No. 01, Sardar Vallabhbhai Ward (2) Ward No. 02, Bhagat Singh Ward (3) Ward No. 03, Subhash Chandra Bose Ward (4) Ward No. 13, Gurunanak Ward (5) Ward No. 15, Ambedkar Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	03	(1) Ward No. 03, Subhash Chandra Bose Ward (2) Ward No. 13, Gurunanak Ward (3) Ward No. 15, Ambedkar Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	06	(1) Ward No. 06, Mahaveer Ward (2) Ward No. 09, Jawahar Ward (3) Ward No. 10, Shivaji Ward (4) Ward No. 16, Dr. Zakir Hussain Ward (5) Ward No. 17, Mirza Galib Ward (6) Ward No. 18, Nageshwar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र./18 एफ 1-76/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद सनावद जिला खरगौन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 03, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 18, महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 05, तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 11, बलवंत वार्ड (4) वार्ड क्र0 16, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (5) वार्ड क्र0 17, संजय गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 05, तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र0 16, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र0 17, संजय गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 04, मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड (5) वार्ड क्र0 15, गोस्वामी तुलसीदास वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-76-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 118-एफ-1-76-2020-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2020

Not-~~No~~118 F 1-76/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Sanawad, District Khargone published as Follows.

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 03, Dr. Ambedkar Ward (2) Ward No. 12, Lal Bahadur Shastri Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No 18, Mahatma Gandhi Ward-
3	No. of wards Reserved for other Backward Caste	05	(1) Ward No. 05, Tilak Ward (2) Ward No. 07, Rani Laxmibai Ward (3) Ward No. 11, Balwant Ward (4) Ward No. 16, Swami Vivekananda Ward (5) Ward No. 17, Sanjay Gandhi Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 12, Lal Bahadur Shastri Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)	03	(1) Ward No. 05, Tilak Ward (2) Ward No. 16, Swami Vivekananda Ward (3) Ward No. 17, Sanjay Gandhi Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 04, Maulana Azad Ward (2) Ward No. 06, Nehru Ward (3) Ward No. 10, Subhash Ward (4) Ward No. 14, Chhatrapati Shivaji Ward (5) Ward No. 15, Goswami Tulsidas Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.



## विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल  
 "कचनार", ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल  
 क्रमांक 2915-वि.यो. 496-नगानि-2020 भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

### धार विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि धार विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला धार
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, धार

### अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	धार विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक कृषि	6	6-सा-15	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
			6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के मण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या-

- \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- \*\* गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- \*\*\* कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंधुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यार सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

क्रमांक 2919-वि.यो. 496-नगानि-2020

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

## अशोकनगर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अशोकनगर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अशोकनगर

## अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोकनगर विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-15	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
		कृषि	6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या-

- \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- \*\* गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. \*\*\* कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंधुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 0003-अ-82-2018-19

छतरपुर, दिनांक 20 जुलाई 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**- अनुसूची -**

## 1. भूमि का वर्णन

क. जिला- छतरपुर ख. तहसील- बक्सवाहा  
ग. ग्राम- मडिया खुर्द (वीरान) घ. लगभग क्षेत्रफल- 7.171 है.

सं. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	दरसू सिंह लोधी पुत्र सवदल लोधी जाति लोधी दयाराम सिंह पुत्र झुत्ते सिंह जाति लोधी नन्नी बाई बेवा झुत्ते सिंह ग्यासींग पुत्र उदेत सिंह शिवदयाल पुत्र उदेत सिंह जाति लोधी उमा पुत्री उदेत सिंह जाति लोधी सुनिया बेवा मुलायम जाति लोधी कल्ला पुत्र मुलायम जाति लोधी मलखान पुत्र मुलायम कमली पुत्री मुलायम जाति लोधी भूमि स्वामी	78 81 82 84 + 85 86/1 87 92 93 94 95 97	0.007 0.004 0.279 0.522 1.421 0.202 0.120 0.016 0.303 0.053 0.308
2	भूरीबाई बेवा गोरेलाल जाति लोधी कमली पुत्री गोरेलाल जाति लोधी श्रीमति जमनाबाई पत्नि देवकी जाति लोधी भूमि स्वामी	80/1	0.936
3	प्यारेलाल विन्द्रावन लखन रन्जीत पिता किशोरा चमार मु. बेटीबाई बेवा किशोरा जाति चमार पता सा. सुनहरा भूमि स्वामी	83/1	0.870
4	तुलसी पिता कल्लन जाति काछी संजीव कुमार सोनी पुत्र घपूलाल सोनी समता पत्नि विजय कुमार जैन दीपेन्द्र परमार पुत्र रामसींग परमार जाति काछी भूमि स्वामी	83/9 83/10 83/12 + 83/15 + 83/19 83/13 + 83/14	0.210 0.688 0.370 0.223
5	मुलामसिंग पिता बालगुट्टी जगदसिंह पिता गुलाबसींग लोधी पता सा. बक्सवाहा भूमि स्वामी	83/17	0.214
6	अभय कुमार तनय हुकुमचन्द्र जैन पता सा. बक्सवाहा भूमि स्वामी	86/2	0.425
	कुल योग:-	19 कित्ता	7.171

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0002-अ-82-2018-19

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हा गया ह, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**- अनुसूची -**

**1. भूमि का वर्णन**

क. जिला- छतरपुर ख.तहसील- बक्सवाहा  
ग. ग्राम- गढीसेमरा घ. लगभग क्षेत्रफल- 2.428 हे०

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा हे०
1	2	3	4
1	सुकई तनय गुड्डा जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	295/3/5 शा. न. 321/5	0.266
		320	0.093
		319/2	0.073
2	अभय कुमार जैन पिता हुकुम चंद्र जैन भूमि स्वामी	295/1	0.123
3	नन्हे भाई तनय कलुवा जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	319/6	0.077
4	महेन्द्रकुमार त० हुकुमचन्द्र जैन उदेत मुलाम पिता रामसिंह दशरथ झुत्ता पिता सबदल सुकई निरपत पि०गुन्डा नन्नेभाई सूरत पिता कलुवा ईन्द्ररानी देवा कलुवा भूमि स्वामी	307	0.021
		309	0.354
		310	0.203
5	ग्या शिवदयाल पिता उददेत सींग जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	313/1	0.016
		314/1	0.068
6	झामसिंह तनय हरीसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316	0.219
7	सूरज तनय कलुवा लोधी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317	0.219
8	दरसू पिता सबदल लोधी सा. देह भूमि	319/1	0.131
9	जाहर पिता निरपत ताराबाई बेवा निरपत जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	319/3	0.071
10	रामप्रसाद तनय गुण्डे जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	319/4	0.417
11	कोमल तनय कलुवा जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी	319/5	0.077
कुल योग:-		16 कित्ता	2.428

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0001-अ-82-2018-19

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

**- अनुसूची -****1. भूमि का वर्णन**

क. जिला-	छतरपुर	ख. तहसील-	बकस्वाहा
ग. ग्राम-	जुझारपुरा	घ. लगभग क्षेत्रफल-	22.395 है.
स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित र. (है.)
1	2	3	4
1	शांती वाई पुत्री मुल्ले जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	335 / 4	0.119
		335 / 9	0.065
2	मुलुवा तनय राखन जाति खगार पता ला.देह भूमि स्वामी	337 / 3	0.246
3	रमेश महेश नीलेश तनय सुन्दर सुषमावाई बबीतावाई ज्योतिवाई पुत्री सुन्दर मु.अंगरीवाई वेवा सुन्दर जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	337 / 4	0.301
		345	0.200
		346	0.451
		347 / 2	0.364
4	भावसी कुन्दन सिंह तनय तन्सा जाति लोधी पता सा. बकस्वाहा भूमि स्वामी	339	0.793
		341	0.777
5	अनिमेष, अभितोष, अशुतोष, अंजुना पिता स्व0 निर्मल कुमार जैन एवं अजित कुमार पिता कन्हेदी जाति जैन पता ला. देह	340	2.602
		521	2.638
		522	0.109
		523	0.109
6	भगवान राम जानकी जी मंदिर, प्रबंधक श्रीमान अध्यक्ष महोदय पता छतरपुर	342	3.261
		833 / 337	0.263
7	जगदीश भरत सिंह राजेन्द्र गनेश सिंह पि. केशरी सिंह जाति लोधी पता सा0.देह भूमि स्वामी	343	0.073
		518	0.421
8	गुलाववाई बेवा पंचू सुन्दर मोहन ब्रजेश हरिराम पिता पंचू पार्वती पुत्री पंचू जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	344 / 1	0.089
9	महेन्द्र कुमार तनय हुकमचंद्र जैन पता निवासी बकस्वाहा भूमि स्वामी	344 / 2	0.089
10	राधारानी बेवा वावू हलकाई विशनाथ पि0वावा महन्ते मूरत सिंह तनय जयसिंह जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	347 / 1	0.405
11	पंचू तनय मुलू जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	356 / 4	0.203
		516 / 2	0.020
12	जगदीश भरत सिंह राजेन्द्र गनेश प्रसाद पिता केशर सिंह राधारानी बेवा केशर सिंह जाति लोधी पता ला.देह	356 / 5	0.315
		533	0.049
		538 / 1	0.077
13	पूरन तनय जग्गू जाति सौर पता ला. देह	356 / 6	0.337
14	गुलाववाई बेवा पंचू सुन्दर मोहन ब्रजेश हरिराम पिता पंचू पार्वती पुत्री पंचू जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	516 / 1 / क	0.471
		517	0.425
		519 / 1	0.162

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित रकवा (है.)
		3	4
15	हरिवाई बेवा बहादुर लक्ष्मण पिता बहादुर राजकुमार संजयकुमार पिता बहादुर ना व बली माँ हरिवाई चन्दावाई पुत्री बहादुर. ना व बली मा हरिवाई बेवा बहादुर जाति लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	516/1/क/1 516/3/1	0.072 0.347
16	परम सिंह पिता पोथी जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	516/1/ख/2	0.400
17	आशाराम तनय पोथी जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	516/3/2	0.078
18	अमोल सिंह तनय पोथी जाति लोधी पता ला.देह भूमि स्वामी	519/2	0.587
19	भागीरथ करन प्यारेलाल जगना दम्पू घूमन तनय फगुवा गेदाबाई पुत्री फगुवा सौर पता निवासी ग्राम	520	0.057
20	फगुआ तनय मन्थतिया जाति सौर पता ला. देह	530 531 532	0.036 0.115 0.332
21	हल्की बिन्ना पति भगवान दास यादव नि. गढी सेमरा	534	0.308
22	तातू तनय मुलुआ जाति सौर पता ला. देह	538/2	0.077
23	नौने सिंह तनय नारायण सिंह जाति लोधी पता सा. देह	540 541 542/1 543	0.077 0.016 0.405 0.032
24	सोने सिंह तनय नारायण सिंह जाति लोधी पता सा. देह	542/2 553/2/क	0.602 0.306
25	बाबूसिंह तनय हनमतसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	544/1	0.793
26	लखन तनय हनमतसिंह जाति लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	544/2	0.793
27	लक्ष्मी रानी बेवा कोमल सिंह दरयाब सिंह भगवान सिंह पिता कोमल जाति लोधी पता ला. देह	546 547 548 549 550 551 552 553/2/ख	0.721 0.146 0.057 0.372 0.101 0.040 0.057 0.034
कुल योग (है.)		56 किता	22.378

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 01-अ-82-20-21-आमला-9719

बैतूल, दिनांक 31 जुलाई, 4 अगस्त 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	आमला	1.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	नांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु।

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	अलकेश पुत्र निम्बा, पवन ना०बा०पुत्र निम्बा संरक्षक भाई अलकेश, निर्मला पुत्री निम्बा, नामदेव, माधोराव पुत्र सायबू सा० गोरगांव भूमि स्वामी	177/1 176/6	0.607	0.607
2	निम्बा, नामदेव, माधोराव व० सायबू, चिकी, सकोता, पिता सायबू, भूरी बेवा सायबू जाति गौली सा० गोरगांव भूमि स्वामी	205	0.231	0.231
3	निम्बा, नामदेव, श्यामराव, माधोराव व० सायबू ना बा वली पिता सायबू जाति गौली जाति सा० गोरगांव भूमि स्वामी	176/4 176/2 175/2	0.445	0.310
4	नत्थू व० पूनू जाति गौली सा० देह भूमि स्वामी	204/7 206/6	0.202	0.202
योग			1.485	1.350

- 1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय आधे० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 02-अ-82-20-21-घोघामा- 9721

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैसदेही	घोघामा	0.952	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	पूर्णा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पहुँच मार्ग हेतु

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	परसराम व० आत्माराम जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	87	1.149	0.053
2	भगवंतराव व० नारायण जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	97/1	1.618	0.053
3	नामदेव पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	112/4	0.405	0.015
		113/5	0.809	0.224
4	वासुदेव, सुखदेव, अशोक, श्रीनिवास व. गोविंदराव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	121/3	1.619	0.607
योग			5.600	0.952

- 1- चूँकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्रमांक 14-अ-82-19-20-रौधा-9717

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	रौधा	6.541	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	नागझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु ।

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा हे० में
		3	4	5
1	हरिहर राव पिता झिंगू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी, पता जावरा	297/4 380/2	0.562 0.706	0.562 0.024
2	कारू, माटु, पिता झुन्नू, मुन्नी पुत्री झुन्नू, रमिया बेवा झुन्नू कल्लू पिता झुन्नू, बबीता पुत्री झुन्नू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी, पता रौधा	28/3	0.752	0.752
3	झिंगा पिता जंगल जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी, पता रौधा	28/4	0.753	0.753
4	धज्जी पिता मिन्ना, फुलको पुत्री मिन्ना जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी, पता रौधा	28/6	0.464	0.092
5	चैतू पिता मिन्ना, सुनील, रबूलाल, पिता बहादर, भगवन्ती, ममता, सुकवन्ती, ललिता, रबिता, लल्लू, पिता बहादर जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी, पता बैतूल	28/7	0.463	0.030
6	बातू पिता सोनबा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	308/3	0.158	0.158
7	हीरालाल पिता सोनबा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	308/4 178/5	0.158 0.381	0.158 0.281
8	मिट्टू पिता सोनबा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	308/5	0.159	0.159

9	समोती पुत्री सुकलू भूता पिता सुकलू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	307/1	0.726	0.726
10	मंगलू शंकर, पिता गिरबलिंग भूते, बेवा भंगी, झनकराव, रमेश, भंगी, झमलो पुत्री भंगी, जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	307/2	0.725	0.725
11	बुन्दो, बेवा लक्खू गोविंदराव, मंगल, पिता लक्खू जमनी बेवा सखा, जंगल, नामदेव, पुत्र लक्खू भागरती, मुन्ना, झुना पुत्री लक्खू किशोरी गुलाब पिता टिककू चंपा, शांति अनुसया, सरित, पुत्री बकाराम, यशवंतराव, ज्ञानराव, पिता बकाराम, बुधराव, पिता सखा, केशोराव, पिता कल्लू मोहन पिता भीमराव, समोती, बेवा नत्थू कमलेश, घोडू जानता, कांता, अनिता, मालता, मालती, पिता नत्थू सुरेश पिता बकाराम, बेनी पिता जंगली, तुकाराम पिता पोलसा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	381/1	4.469	1.963
12	राजबा व. सोनबा, जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा	308/1	0.158	0.158
	कुल योग	-	10.634	6.541

- 1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 15-अ-82-19-20-थावड़ी-9713

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	थावड़ी	3.880	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	नागझिरी जलाशय की नहर हेतु

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा हे० में
		3	4	5
1	सन्जु उर्फ देवेन्द्र व. मानिकराव अन्जी पिता मानिकराव जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	141/10	0.720	0.131
2	जयवन्ती बे. जीवाजी जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	164/7	1.417	0.096
3	जयवन्ती बे. जीवाजी बुधसिंग पिता जीवाजी गुलाब पिता जीवाजी सुखदेव पिता जीवाजी जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	98/1	4.083	0.168
4	अनीता पुत्री रंगा आशा, पुत्री रंगा रंगु पुत्र चिक्कु, रामकिला बे. रंगा ललिता पुत्री रंगा जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	133/3	0.323	0.120
5	मंगो बेवा सोमजी गुलाब पिता सोमजी मिलाप पिता सोमजी रामबाई पुत्री सोमजी रामरती पुत्री सोमजी फूलवंती पुत्री सोमजी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	69/3	0.708	0.050
6	इमली रमला इमला सुमित्रा पिता ढीमरा जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	133/1	0.769	0.057
7	सुकदेव पिता तानू सोमती पुत्री तानू जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	52	3.189	0.302

8	अंजली जौ रितेश जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	29/2	1.902	0.040
9	नत्थू व. महंगीलाल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	71	0.243	0.048
10	कमला बेवा भैया भादू, गुन्नु येना पिल्लो पिता भैया जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी,	20/3	0.438	0.060
		79/1	0.389	0.033
11	जुगन व. फगन नन्दू जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी,	27	1.732	0.120
12	ओड़ी व. जबरसिंह जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी,	31/2	0.639	0.134
13	जमना बे. गोपाल कुम्मा जददू श्यामलाल व. गोपाल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	50/2	0.809	0.206
14	मिन्दो बे. कली मंसा अभीराम आशाराम व. कली गौरा पिता कली जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी	70/1	0.708	0.102
		37/2	2.772	0.072
15	गोविंदराव व. उमराव जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी	77/1	1.330	0.264
16	जुगन व. फगन जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	80/2	0.081	0.048
		80/1	0.566	0.057
		81/2	0.760	0.084
		81/1	0.842	0.216
17	कौतिका जौ कचरया जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी	106/3	1.012	0.192
18	यशवंतराव व. भीमराव मंजू शंकुन कौतिका पिता भीमराव जाति मेहरा सा देह भूमिस्वामी, पता थावडी	104	0.801	0.019
19	जगन मगन फगन व. कज्जू गणेशी जमनी पिता कज्जू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	109/1	0.925	0.144
20	रखिया बे. भैयालाल पन्नालाल, बारीकराव साहबहराव प्रकाश संजू व. भैयालाल मिल्लो मिलवती कम्मो पिता भैयालाल जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता थावडी	116	1.878	0.048
21	श्यामराव व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	115/1	0.626	0.014
22	मुन्ना व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	115/2	0.626	0.019
23	उमराव व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	115/3	0.626	0.033
24	बीरू किधर व. श्यामू निर्मला पुत्री श्यामू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	29/1	1.867	0.158
25	भादूलाल व. चैतू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	131/2	1.781	0.048
		114/8	0.608	0.072
26	अमरलाल पतिराम सीताराम गुलाब व. लौटन रमिकी मिनी लोटन जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	133/2	0.922	0.120

27	भूता व. दीवान जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,	140/3	1.222	0.081
		140/4	1.048	0.273
28	भादू व. मुन्नी जाति गोड सा देह भूमिस्वामी,	117/6	0.448	0.031
29	मदन व. नंदू जाति गोड सा देह भूमिस्वामी,	88/2	0.616	0.060
30	रून्द्रा बे. गेंदलाल, शंकु, ईश्वर व. गेंदलाल सनोती पिता गेंदलाल सा देह भूमिस्वामी,	94/1	0.930	0.160
<b>कुलयोग :-</b>		-	<b>40.356</b>	<b>3.880</b>

- 1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 16-अ-82-19-20-नागझिरी-9715

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	नागझिरी	3.306	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	नागझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु ।

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	भूता व. येनसू सा.देह भूमिस्वामी	32	3.238	0.107
2	ढेपल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	31/1	1.178	0.045
3	जैराम व. ढेपल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/7	2.809	0.168
4	चन्द्रभागा पत्नी मारोतीराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	146/1	0.414	0.144
5	शशिकला पत्नी पर्वतराव जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	152/1	1.507	0.074
6	सूरत पिता जगू रामप्रसाद व. जगू नान्हू व. जगू मुन्ना व. जगू जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	90/1	0.871	0.081
7	सखिया बाई पत्नी सयकिराम जाति गोड सा देह भूमिस्वामी	67/1	0.209	0.021
		67/8	0.372	0.022
8	दौलत व. मुल्या बाया बे. गजमल ज्ञानराव, बंडू, पंडित कमलेश व. गजमल सा देह भूमिस्वामी	30/1	0.686	0.080
9	बसंती बेवा बलवंत शंकर, राजू इन्द्रा, पिता बलवंत, जनक, उदयराम, सरजेराव, मीरा पिता मोबू मीरू पुत्री भागूलाल, शिवलाल व. श्यामू, दिलीप रमेश, चन्द्रकला व. गुलाबसिंह, लक्ष्मी बे. दीनानाथ, जीरूलाल, कसदन व. भागूलाल, रुसिका, शिवानी, भावना, भुवेश्वर ना.बा.पिता दीनानाथ, संरक्षक लक्ष्मी बाबूराव, अजाबराव, लता पिता गुलाब सा देह भूमिस्वामी	34/2	3.144	1.631
		95/2	0.243	0.076

10	नेहरू व. घुसरा सा देह भूमिस्वामी	118/2	0.708	0.202
		120/2	0.844	0.035
		89/2	1.280	0.067
11	जगोती बे. इमरत कमकू पिता इमरत भागाबाई बे. भिकारी राजेश सैलू व. भिकारी साहबलाल पिता पुन्नी मनकी बे. मंजू सुरपसिंह सैकीराम मैकू पिता मंजू जाति गोड सा देह भूमिस्वामी	93	0.348	0.081
12	चिन्धू इठा पिता बालाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	92	0.262	0.052
13	सुखदेव बलदेव व. पूनाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	114/5	0.417	0.012
14	दीपक प्रकाश नीलकंठ व. रामाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	114/6	0.335	0.131
15	चन्द्रभागा बे. मारोतीराव जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी	152/3	0.800	0.048
16	पुनाजी, रामाजी व. देवमन जाति गोड सा देह भूमिस्वामी	74	0.368	0.048
17	अम्मू व. किसनलाल जाति गोड सा देह भूमिस्वामी	69/1	2.751	0.153
18	रमोती जौ सुखराम परसू परसराम सूयीान व. सुखराम जाति गोड सा देह भूमिस्वामी	157	1.216	0.028
कुलयोग :-		-	24.000	3.306

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 18-अ-82-19-20-जामझिरी-9774

बैतूल, दिनांक 5 अगस्त 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	भैसदेही	जामझिरी	0.578	पूर्णा जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु

अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी कृषको नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शिवकली बेवा बदनलाल, राजू, लता, गुन्ता पिता बदनलाल जाति अ०जा० सा० देह भूमि स्वामी	116/2	0.907	0.034
2	रखिया बेवा दसरू, बिरजलाल, नंदलाल, निर्मला पिता दसरू जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	116/3	1.423	0.030
3	राधा बेवा प्रेमलाल, सीताराम, शिवप्रसाद, रामकिशोर मुन्नीलाल पिता प्रेमलाल जाति अ०जा० सा० देह भूमि स्वामी	116/5	2.000	0.090
4	श्री चन्द्रशेखर पिता लखनलाल जाति किराड़ सा० देह भूमि स्वामी	118/2	0.809	0.050
5	श्री राजू पिता नामदेव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	119/2	1.214	0.046
6	श्री देवीदास पिता नामदेव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	119/3	1.011	0.046
7	सुरका पिता जुग्गी जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	284/1	1.634	0.108
8	अशोक पिता गोरखि जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	284/2	3.440	0.174
योग			12.438	0.578

(2) चूंकि पूर्णा जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्रमांक 19-अ-82-19-20-बासनेरखुर्द-9780

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बासनेरखुर्द	0.620	बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी कृषको नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० मे
1	2	3	4	5
1	धर्मराज पुत्र महादेव जाति कुन्बी सा०देह भूमि स्वामी	81/1	0.537	0.200
2	जगदीश पिता भगवंतराव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	81/2	0.541	0.280
3	ज्ञानदेव पुत्र शेष राव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	81/3	0.290	0.140
योग			1.368	0.620

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 20-अ-82-19-20-बासनेरकला-9778

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र०)	भैसदेही	बासनेरकला	1.274	बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी कृषको नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	श्री रामचन्द्र व० गेंदराव, मखु बेवा गेंदराव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	148	0.939	0.939
2	श्री सुखदेव व० गुलाबराव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	161/1च	0.212	0.200
3	श्री प्रयाग व० सीताराम, रूखमा बेवा देवराव, मानिकराव व० देवराव, सुशीला, कमला, पिता देवराव, राखी बेवा सीताराम जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	154	0.182	0.135
योग			1.333	1.274

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 20-अ-82-20-21-खटगढ़-9776

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	खटगढ़	1.399	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	घोघरी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मंगराय पुत्री मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी	138	0.699	0.699
2	मंगरू पुत्र मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी	139	0.700	0.700
कुल योग			1.399	1.399

1- चूँकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति क विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
शहडोल, दिनांक 21 मई 2020

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 1-अ-82-2020-21-2587.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	दादर	4.601	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	गंधिया जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 7-अ-82-2019-20-2588.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	रिमार	0.547	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
बालाघाट, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र.3674-भू-अर्जन-0001-अ-82-वर्ष-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11

की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	मौजा सकरी प.ह.नं. 01	निजी भूमि रकबा 1.081 हेक्टेयर भूमि.	कार्यालय उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नैनपुर (म. प्र.).	जबलपुर-बालाघाट रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

(2) टीप:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नैनपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3677-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इनके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग, बालाघाट द्वारा दूटी बायी नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदाय की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### \* अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	ग्राम बटरमारा प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. रजेगांव.	ख.नं. 146/2 रकबा 0.258 हे. में से 0.150 हे. एवं ख. नं. 146/3 रकबा 0.242 हे. में से 0.024 हे.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट.	ग्राम पूनी-बटरमारा मार्ग में वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुँच मार्ग (ग्राम-बटरमारा तरफ) पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति विधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [dmbalaghat@nic.in](mailto:dmbalaghat@nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र. 3471-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- |   |  |
|---|--|
| (क) जिला—छिन्दवाड़ा   |  |
| (ख) तहसील—चौरई  |  |
| (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवरीकलां, प.ह.नं.-04,<br>ब. नं.-135, रा. नि. मं.-चौरई. |  |
| (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—                             | कुल रकबा-0.390 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. |

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/2/2	0.100
17/2/3	0.145
122/2, 123/2	0.145
कुल रकबा.	0.390 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्रं.2 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. 3756-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- |   |  |
|---|--|
| (क) जिला—छिन्दवाड़ा   |  |
| (ख) तहसील—चांद  |  |
| (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खुटिया, प.ह.नं.-13,<br>ब. नं.-49, रा. नि. मं.-चांद. |  |
| (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—                         | कुल रकबा-0.120 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. |

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/7	0.120
49/16क/1, 49/17क/1	एक कच्चा मकान
कुल रकबा.	0.120 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	188/3	0.010
	188/9	0.080
	188/8	0.097
	188/4, 188/5, 188/10	0.118
	211/3, 213/3	0.032
	214/1, 216	0.106
	220/2, 221/5	0.053
	219/2, 220/1, 221/4	0.060
	219/3	0.026
	219/1, 221/2	0.028
	56/2	0.024
	कुल रकबा. . 0.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.		
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रं. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.		
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रं. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		

क्र. 3757-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नांदना, प.ह.नं.-14,

ब. नं.-148, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल—

कुल रकबा-0.634

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.



क्र. 3758-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चांद  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया, प.ह.नं.-37,  
 ब. नं.-136, रा. नि. मं.-चांद.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.786  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर आने  
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

2

3/13/1, 4/2

14, 15/3, 16/1

4/3

15/1, 16/2

15/4

15/2

18/1, 19/2

98/2, 99/2, 100/2

98/1, 99/1, 100/1

102/2

182

162/1/1

179/13, 181/8

179/14, 181/9

179/1

181/1

181/2

181/4

194/1

192/2, 231/2, |

241/3, 244/2 |

194/3/1

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.270

0.139

0.060

0.112

0.112

0.060

0.090

0.165

0.060

0.140

0.115

0.024

0.030

0.060

0.030

0.120

0.120

0.060

0.060

0.040

0.076

0.090

(1)

244/1, 244/3, 244/4

194/3/2

193/3

196/6

178/1, 178/2

193/2

193/1

240/1

245/5

246/2, 246/5, |

247/2, 247/5 |

256/1, 256/2

179/3/4/5/6/7/8/9, |

181/3

177/1

177/3, 177/6, |

177/7, 177/9 |

177/2, 177/8

172/2/6

196/2

144/2

172/1, 173/3

172/4

151/1, 152/2

151/2, 152/3, 152/4

164/4/1, 164/5/1, 174/1/1

159/2/2, 162/2/2

159/3

164/3, 164/14

कुल रकबा. . 03.786 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत चांदना वितरक नहर की टेल एण्ड माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	(1) 3/3 1/6 1/8, 21/5 1/5, 5/1, 21/2	(2) 0.060 0.020 0.162 0.214
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	6/6 6/4 6/3 6/7	0.080 0.080 0.088 0.012
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	6/2 13/2, 16/5, 82/2, 88/2, 88/4, 81/2, 89/2, 90/2, 91/2	0.060 0.064
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	6/9 6/8, 11, 12 13/7 13/10, 16/11, 88/5, 89/3, 90/4, 91/4 13/8, 88/4, 90/5, 91/3 91/1, 92/1, 93/1 20/4 76/10, 77/12 77/14, 77/15 77/1/1 20/2 76/8, 76/10 76/9, 77/14 72/15, 74/14 72/5, 74/7 72/10 58/1, 59/1 260/1/1 260/5 260/13 260/4 260/2 261/2/3/4 261/9 256 246/2 254	0.080 0.192 0.032 0.088 0.080 0.104 0.032 0.024 0.104 0.036 0.008 0.040 0.040 0.047 0.064 0.064 0.068 0.032 0.008 0.048 0.020 0.040 0.080 0.124 0.104 0.032
क्र. 3759-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
<b>अनुसूची</b>		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख) तहसील—चांद		
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिरस, प.ह.नं.-38, ब. नं.-287, रा. नि. मं.-चांद.		
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—	कुल रकबा-04.874 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	
2/2	0.030	
21/13	0.010	
1/3, 21/4	0.020	
1/4, 1/7, 2/1	0.130	
1/2, 3/1	0.215	

(1)	(2)
246/3	0.076
153/17, 247/6, 248/8	0.080
153/21	0.074
159/3/2	0.032
159/3/1	0.032
137/1	0.120
39/4, 39/8-11	0.192
136/4	0.084
138/3	0.078
136/3	0.018
136/1	0.018
5/2, 21/3, 21/11	0.160
20/1	0.008
20/5	0.012
21/40	0.032
21/39	0.036
21/38	0.040
21/37	0.032
30/11, 31/11, 32/11, 33/11	0.055
27/7	0.192
27/10	0.016
28/1, 29/1	0.096
30/6, 31/6, 32/6, 33/6	0.024
35/4, 35/5	0.040
35/8/1	0.052
35/8/2	0.052
35/1	0.024
35/9	0.048
48/1	0.168
48/6	0.024
47/16	0.070
47/5, 47/7	0.045

योग . 04.874 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांथी तट नहर उप संभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 3760-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया रैयत, प.ह.नं.-37/44, ब. नं.-3/25, रा. नि. मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.855 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

8/5

8/3

4/3

3/2

1/8

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.084

0.120

0.110

0.012

0.015

(1)	(2)
4/1	0.030
1/9	0.009
1/6	0.003
13/3, 14/3	0.150
13/12, 14/12	0.005
13/10, 14/10	0.040
13/11, 14/11	0.030
17/11, 17/12	0.130
13/8, 14/8	0.035
13/2, 14/2	0.044
17/2	0.068

योग . 0.855 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की टेल एण्ड माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 3761-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिंगोडी, प.ह.नं.-37/44, ब. नं.-281, रा. नि. मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.352 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा  
नम्बर  
(1)

प्रस्तावित रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

22/1	0.055
23/1	0.154
3	0.144
8/10/1, 8/14/1,	0.096
8/16/1, 8/17/1	
7/5, 8/4, 8/15	0.120
8/6	0.032
10/3	0.084
10/8	0.053
10/7	0.024
10/5	0.039
39/1	0.098
46/2/2, 47/7-9	0.011
47/4	0.014
47/6, 47/10,	0.077
48/2, 51/1	
51/2	0.065
21/1	0.126
21/2	0.125
30/2, 30/11	0.035

योग . 01.352 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांथी तट नहर उप संभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जुलाई 2020

पत्र क्र. 196-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम निपनिया-318, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा, पटवारी हल्का निपनिया तहसील हुजूर, रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार

प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—निपनिया-318  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.076 हेक्टेयर.

#### खसरा एवं रकबा का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1313/4	0.026
1313/1/1	0.050
योग . .	<u>0.076</u> हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 197-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम हटवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर, पटवारी हल्का हटवा तहसील सिरमौर, बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—हटवा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.	183	0.049
	268/1	0.006
	योग . .	<u>0.336</u> हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1119/4/1	0.052
1120	0.040
1191/1/ख	0.040
1191/9	0.040
1191/5/ख	0.040
1191/1/क/2	0.024
योग . .	<u>0.236</u> हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 198-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम खरहरी-106, राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया, पटवारी हल्का लैनबधरी तहसील सेमरिया, रीवा बकिया से सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—सेमरिया  
(ग) नगर/ग्राम—खरहरी-106  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.336 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269/1	0.281

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा बकिया सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 199-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम फूल नं. 1, राजस्व निरीक्षक मण्डल सूर, पटवारी हल्का करारी-19 तहसील मनगवां, बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) नगर/ग्राम—फूल नं. 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.184 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
496/1, 496/2	0.081
510	0.073
512/1, 512/2,	0.030
512/3, 512/4,	
512/5	
योग . .	<u>0.184</u> हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 200-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम डोमा, राजस्व निरीक्षक मण्डल 02 रीवा, पटवारी हल्का रौसर तहसील हुजूर, रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हुजूर  
 (ग) नगर/ग्राम—डोमा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.196 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1	0.057
91/2	0.005
92/1	0.033
82/3	0.040
82/2	0.008
82/1	0.004
82/4	0.004
83	0.021
84/1	0.006
84/2	0.006
84/3	0.006
85/1	0.006
योग . .	<u>0.196</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 201-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम मंगुरहाई, राजस्व निरीक्षक मण्डल 02 रीवा, पटवारी हल्का रौसर, तहसील हुजूर, रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हुजूर  
 (ग) नगर/ग्राम—मंगुरहाई  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.018 हेक्टेयर.

खसरा एवं रकबा का विवरण	
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
669/2	0.018
योग . .	<u>0.018</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.